



सम्दा :- न्यायालय श्रीमान १०५० राजस्व माफला नं० ११११११ सागर केन्द्र सागर

श्रीमति अन्नु जुनेजा आबु ४५ सात पत्नि श्री तानजो जुनेजा
 पुत्री स्व० श्री रूपसिंग जुनेजा
 साकिन- १७ केन्ट सागर तहसील वा जिला सागर (१०५०)
 --- आवेदिका
 पुनरीक्षण कर्ता

B.C.R.

21 NOV 2016

श्री ... सागर ...
 कार्यालय कनिश्चर, सागर तहसील,
 सागर (म.प्र.)

॥ विद्वा ॥

म०प्र० शासन
 राजस्व पुनरीक्षण क्र०
 पुनरीक्षण अंतर्गत धारा ५० म०प्र० धूरा० सं० १९५६
 --- अनवेदक
 उचरदाता
 प्रस्तुत दिनांक

पुनरीक्षण का संक्षिप्त विवरण

उपरोक्त पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के राजस्व माफला क्र० : ६८-बा२ वर्ष १५-१६ नाम पत्रकार श्रीमति अन्नु जुनेजा विद्वा म०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक १६-७-०१५ के आदेश से दुलित होकर यह पुनरीक्षण निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाकर उक्त प्रकरण में आवेदिका को न्याय दान करने के लिए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त कर एक नवीन आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य

(१):- यह कि आवेदिका । सरोददार श्रीमति अन्नु जुनेजा ने बैचवार नवीन केशरवानी बल्द राजकुमार केशरवानी साकिन- ६१४०, सदर बाजार सागर से रजिस्ट्री बुदा दैनामा दिनांक १६-६-२०१५ को मौजा सिरांजा ५०६० नं०-७४ गा० नि० मं० सागर-२ तहसील वा जिला सागर पुमिस्वामी हक की मुप बतरा नंबर ३२२

114
 29.11.16

श्रीमति अन्नु जुनेजा

2
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4081-एक/2016

जिला सागर

श्रीमती अन्जू जुनोजा

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-3-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सागर जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 98/अ-2/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-7-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 6-5-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>सदस्य 07/03/19</p>